Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding Governmenr resolution on Jammu and Kashmir, moved by Home Minister.

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, हमारे गृह मंत्री जी सदन में आए, रेज़ोल्यूशन को प्रस्तुत किया और दौड़कर भाग गए ।...(व्यवधान) सारे हिन्दुस्तान की फौज जिनके साथ है, वे दौड़कर भाग गए...(व्यवधान) मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहता हूं...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : शून्य काल में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है ।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : रूल 173...

माननीय अध्यक्ष : शून्य काल में पॉइंट ऑफ आर्डर नहीं होता है ।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, हमारे हिन्दुस्तान में क्या हो रहा है? जम्मू-कश्मीर को कैदखाना बना दिया गया है...(व्यवधान) जम्मू-कश्मीर के सारे लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया है...(व्यवधान) पूरे जम्मू-कश्मीर में मोबाइल और इंटरनेट बंद है ।...(व्यवधान) लगता है कि जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ दी गई है...(व्यवधान) इस सदन में जबरदस्ती यह रेज़ोल्यूशन लाया गया है । इस रेज़ोल्यूशन को लाने का इनको हक नहीं है ।...(व्यवधान) यह कहा जा रहा है कि ...(व्यवधान)

> "This House resolves to express the view to accept the Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019." ...(*Interruptions*)

Where is the Bill? …(*Interruptions*) बिल नहीं है ।…(व्यवधान) इसका मतलब यह है कि आम का पेड़ है और आप उसके नीचे बैठे हैं और आम गिनती कर रहे हैं, जबकि उसमें न फूल आया है और न फल आया है । इस तरह की धज्जियां अगर उड़ाई जाएंगी तो हिन्दुस्तान कहां जाएगा…(व्यवधान) सर, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, मशीन लर्निंग नहीं है…(व्यवधान) यहां रेज़ोल्यूशन दिया गया और कहा गया कि आप बोलें…(व्यवधान) हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग नहीं है ।…(व्यवधान) Sir, I want to raise a Point of Order. It is Rule 173:

> "In order that a Resolution may be admissible, it shall satisfy the following conditions, namely:—
>
> (i) it shall be clearly and precisely expressed" …(*Interruptions*)

यह बिल नहीं है और बिल को रेज़ोल्यूशन के हथियार से पास कराया जा रहा है…(व्यवधान) यह सरासर संसदीय सिस्टम के खिलाफ है…(व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU : Sir, it is only a pointed question. … (*Interruptions*) ...* **माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं ।

…(व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU : Sir, I am sorry. …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No.

… (*Interruptions*)

SHRI T. R. BAALU : Sir, I am sorry. …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No.

… (*Interruptions*)

SHRI T. R. BAALU : Sir, I said, I am sorry. …(*Interruptions*) Okay, Sir. I am sorry. …(*Interruptions*) But at the same time, where is the Bill? …(*Interruptions*) You should provide the instrument to us. …(*Interruptions*) Where is the Bill? …(*Interruptions*) Without the Bill, there is a Resolution! …(*Interruptions*) How come this is happening? …(*Interruptions*) Is it not proper to protect us? …(*Interruptions*) You have to protect us. That is why, I said like that. Otherwise, I have no reason of pointing fingers AT you. …(*Interruptions*) You are a very good Speaker. People are admiring you. At the same time, you have to not only give us proper chance but also you should give your ruling on the rules and regulations of the Parliamentary procedure. …(*Interruptions*) You just tell us what is to be done now? There is no Bill. …(*Interruptions*) He has presented the Resolution. The Bill is being discussed in the Rajya Sabha. Where is the chance for us to discuss? Please ask the Government to respond to us.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, please allow me to speak. …(*Interruptions*)

Sir, I have a simple point regarding procedure. I know that Points of Order are not raised during Zero Hour. The Zero Hour has started. But we received the copy of the Resolution just a little while ago. It is written:

> "SHRI AMIT SHAH to move the following Resolution:-
> That the President of India has referred the Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019 to this House under the proviso to article 3 of the Constitution of India for its views…"

Sir, it has not been the practice of this House ever to put a Resolution ahead of a Bill.

In our House, Bills are circulated in advance. Then, they are introduced, opposition to introduction is allowed and then the Bill is discussed. The Bill has not come to this House, it has not been circulated among Members, it is still being debated in the other House, the Home Minister came and presented the Resolution. Now, at the time he presented the Resolution, you took a vote and said, 'those in favour may say aye'. We wanted a division, but you did not allow a division for whatever reason. Whenever there is a Resolution, you ask for 'ayes' and 'noes'.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह शून्य काल है । जब भी आपने डिविजन मांगा है, मैंने डिविजन दिया है ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : किसी एक सदस्य ने भी डिविजन मांगा है, तो भी मैंने डिविजन दिया है ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस सदन में कभी-भी किसी सदस्य ने डिविजन मांगा है, तो मैंने डिविजन दिया है ।

…(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY : Sir, please listen to me; without pointing fingers at me, please listen to me. I am talking sense. I am trying to say that whenever there is a Resolution and there is a voting on the Resolution, a division on the Resolution can be asked for. We wanted a

division on the Resolution since it concerns basic matters of the Constitution of the State of Jammu and Kashmir. …(*Interruptions*) Sir, what has been done here …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप पहले समाप्त कीजिए, तभी तो उनको बोलने दें । यह बंगाल का डिविजन थोड़ी है, जम्मू-कश्मीर पर है ।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग) : जनाब स्पीकर साहब, जम्मू-कश्मीर जल रहा है ।…(व्यवधान) इस वक्त सवा करोड़ लोग कर्फ्यू में हैं । बंद है, महसूर हैं, टेलीफोन नहीं हैं, टेलीविजन नहीं है । यह सारी टेलीविजन की खबरें…(व्यवधान) वहां के जो लीडर हैं, उमर अब्दुल्ला साहब जेल में हैं, महबूबा जी जेल में हैं, सज्जाद लोन जी जेल में हैं ।…(व्यवधान) आप यह कैसा कानून ला रहे हैं? …(व्यवधान) जिसके लिए आपको कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है?…(व्यवधान) आपको 1 करोड़ 25 लाख लोगों को महसूर करना पड़ रहा है । आप यह कैसा कानून ला रहे हैं? यह पहली बात है।…(व्यवधान) कोई टेलीफोन नहीं, कोई मोबाइल नहीं, जो हजारों-लाखों कश्मीरी हैं, पूरी दुनिया का कश्मीर के साथ कोई संपर्क नहीं है ।…(व्यवधान) जनाब यह जो रिज़ॉल्यूशन है, इसका फ्रेम प्रापर नहीं है । हमें कहा जा रहा है कि इसको स्वीकार कीजिए, बिल जो कि अभी लाया ही नहीं गया है ।…(व्यवधान) आप जरा इस रिज़ॉल्यूशन की भाषा पढ़ लीजिए ।…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, अपनी नाकामयाबी को…(व्यवधान) तैनात करने जा रहे हैं । यह सरासर गलत है ।…(व्यवधान) जो बिल कहलाता है…(व्यवधान) यह बिल नहीं है । इस रिज़ॉल्यूशन को बिल में

तब्दील करके इसी कायदे-कानून के साथ पेश करने की अगर कोई कोशिश... (व्यवधान) पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई जा रही है । इसीलिए, हम बहिगर्मन करने पर मजबूर हो रहे हैं ।...(व्यवधान)

17.43 hrs

At this stage Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Shrimati Sonia Gandhi, Shri T.R. Balu and some other hon. Members left the House.

रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदय, श्री अंधीर रंजन चौधरी जी, श्री बालू जी और प्रो. सौगत राय जी इस सदन के बहुत ही पुराने और बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं । जबकि चेयर के द्वारा यह व्यवस्था दे दी गई थी कि शून्य काल में कोई भी पाइंट ऑफ आर्डर मूव नहीं किया जा सकता है, फिर भी इन लोगों ने पाइंट ऑफ आर्डर रेज़ करने की कोशिश की है । आपने अपनी सहनशीलता का परिचय देकर इनको यह बोलने की इजाजत दी है, लेकिन इन लोगों ने उसका भी आदर नहीं किया है ।...(व्यवधान) जबकि रिज़ॉल्यूशन पेश किया जा सकता है । गृह मंत्री जी ने नियमों के अनुसार ही रिज़ॉल्यूशन को इस सदन में पेश किया है । मैं इस भारत के संविधान के पार्ट 1 के इस क्लॉज़ 3 की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि-

> "Parliament may by law form a new State by separation of territory from any State or by uniting two or more States or parts of States or by uniting any territory to a part of any State, increase the area of any State, diminish the area of any State, alter the boundaries of any State, alter the name of any State, provided that no Bill for the purpose shall be introduced in either House of Parliament except on the recommendation of the President and unless, where the proposal contained in the Bill affects the area, boundaries of any State or States…"

अध्यक्ष जी, हमारा इतना ही कहना है कि गृह मंत्री जी ने इस सदन में रिज़ॉल्यूशन प्रस्तुत कर दिया है ।...(व्यवधान)

गृह मंत्री जी ने यह आश्वस्त किया है कि कल जब इस पर चर्चा होगी, जो भी सवाल प्रतिपक्ष के द्वारा खड़े किए जाएँगे, उनका वे विधिवत जवाब देंगे । धैर्यपूर्वक सब की बातों को सुनने के बाद उसका विधिवत जवाब देंगे तो मैं समझता हूँ कि वाक आउट करने का ओवैसी साहब कोई औचित्य नहीं है ।

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): मैं बोलने के लिए खड़ा हूँ ।...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : इस पर कल चर्चा होगी ।...(व्यवधान) इस पर पूरी बात आपकी सुनी जाएगी और उसका जवाब दिया जाएगा ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, आइटम नम्बर 8, जो माननीय रवि शंकर जी के नाम के आगे अंकित है- उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2019. मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे कानून मंत्री उपलब्ध हैं, यह बिल ले लिया जाए ।

माननीय अध्यक्ष : अभी पाँच-सात माननीय सदस्यों के ज़ीरो अवर बाकी हैं । उनको निपटा कर फिर इसकी कार्यवाही शुरू करते हैं । एक बार मैंने व्यवस्था दे दी है ।

श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली): सर, आपने मुझे अलाउ किया था।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हाँ, माननीय सदस्य, आप बोलिए ।